विवरण

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत बिहार क्षेत्र के वैसे चूकदायी संस्थाओं की सूची जिनके विरुद्ध 10 लाख रुपये से ऊपर भविष्य निधि बकाये की राशि देय है:

क्र.स. संस्थान का नाम एवं विवरण

1 मैसर्स इन्कैब, (इंडियन कैबुल कम्पनी) जमशेदपुर ।

2 मैसर्स कचवार लाईम एंड स्टोन कम्पनी, बनजारी ।

3 मैसर्स हार्ड टेंसनइंसुलेशन फैक्ट्री, लामकूम, रांची ।

4 मैसर्स रिलायंस फाउंडर क्रिक्स एंड पौटरी वर्क्स कम्पनी लि०, धनबाद ।

5 मैसर्स कुमार धुबी इंजीनियरिंग वर्क्स (अब मैसर्स कुमार धुबी कैटिंग, कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड), धनबाद।

6 मैसर्स ईस्टर्न मैगनीज एवं मिनरल लिमिटेड ।

7 मैसर्स इलेक्ट्रिक इक्वीपमेंट फैक्ट्री, टाटी सिल्वे, रांची ।

8 मैसर्स डोलचांच लाईका फैक्ट्री, हजारीबाग ।

9 मैसर्स लिंड इलप एंड डाइअ, जमशेदपुर ।

10 मैसर्स गणेश चन्द्र शाहा चक्रधरपुर ।

11 मैसर्स मो० सईद फिरोजुद्दीन बीड़ी मर्चेंट, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

12 मैसर्स लौंगिया बीड़ी कम्पनी, बिहार-शरीफ, नालन्दा ।

13 मैसर्स कटिहार जूट मिल्स, कटिहार ।

14 मैसर्स बिहार सुगर वर्क्स, पंचरूखी, सिवान ।

15 मैसर्स एच.एम.पि. सुगर मिल्स, चंपारन

16 मैसर्स बेलाल बीड़ी फैक्ट्री, प्रा० लि०, पाकुर ।

17 मैसर्स श्याम बीड़ी वर्क्स, पाकुर ।

18 मैसर्स गया कॉटन एंड जूट मिल्स, गया।

19 मैसर्स बिहार स्टेट विभरस एंड स्पीनिंग मिल्स, मोकामा, पटना ।

20 मैसर्स समस्तीपुर अनुमंडलीय खादी ग्रामोद्योग समिति, समस्तीपुर ।

विदेशों में रोजगार के झूठे वायदों से ठगे गये श्रमिक

849. **श्री कामेश्वर पासवान :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एजेंटों द्वारा विदेशों में रोजगार दिलाने के नाम पर श्रमिकों का आर्थिक शोषण किये जाने के मामले दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या पर काबू पाने के लिए क्या कार्य-वाही की है ;

(ग) क्या सरकार विदेशों में उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए अपनी देख-रेख में एक केन्द्रीकृत केन्द्र आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि विदेश श्रमिकों का शोषण रोका जा सके; और

(घ) ऐसे एजेंटों की संख्या कितनी है जिनके पास वैध लाइसेंस हैं और जो श्रमिकों को विदेशों में भेजने के कार्य में लगे हैं और उनके कार्य-क्षेत्र की सीमा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. ए. संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) श्रम शक्ति निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 28-7-1994 की स्थिति के अनुसार श्रम शक्ति निर्यात के लिए 1174 भर्ती एजेन्ट जिनके पास वैध पंजीकृत प्रमाण

पत्र हैं, भर्ती करने के कार्य में कार्यरत हैं। कोई भर्ती एजेन्ट पंजीकृत प्रमाण-पत्र में अंकित स्थान से ही निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए विदेशी नियोक्ता की मांग के अनुसार किसी भी देश में रोजगार के लिए श्रमिकों को भर्ती कर सकता है।

Workers in iron ore and manganise industry in Orissa

850. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the approximate number of workers engaged in the iron ore and mangnise industry in the Barbil-Barjamda sector, Gandhamardan sector Joda Banspani and other mining areas in Keonjhar district of Orissa; and

(b) the details steps taken to provide those workers proper housing and health care facilities and other basic facilities?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

High powered committee on labour laws

851. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Prime Minister has preferred for setting up of a High Powered Committee to suggest changes in labour laws insted of setting up a second Labour ommission; and

(b) if so, the details and decision thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) and (b) No decision has yet been taken regarding setting up of a National Commission on Labour or High-Powered Committee for suggesting changes in labour laws.

देश में श्रम शक्ति की संख्या

852. श्रीमती सरला माहेश्वरी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितनी श्रम शक्ति है और इसका कितना प्रतिशत संगठित क्षेत्र में और कितना प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है ;

(ख) इसमें महिला श्रमिकों की संख्या कितनी है तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में अलग-अलग उनकी प्रतिशतता कितनी है ;

(ग) क्या संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी आई है ;

(घ) क्या यह सच है कि आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के बीच भारी अंतर है ;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की दर क्या है ; और

(च) देश में इस समय बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और रोजगार के अवसरों में वर्तमान वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए आगामी दो वर्षों में देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जायेगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) (क) और (ख) 1991 की जनगणना के दौरान संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में कर्मकारों के वितरण संबंधी